कामधेनू डेयरी योजना

1. प्रस्तावना:—

राज्य में गौवंश की देशी नस्ल का संरक्षण, संवर्धन, पंचगव्य उत्पाद, जैविक खाद निर्माण, चारा उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन को बढाने के उद्देश्य से कामधेनू डेयरी योजना प्रस्तावित है।

2. योजना का मुख्य उद्देश्य :—

- राजस्थान में उपलब्ध दुधारू देशी गौवंश का संवर्धन कर उन्नत गौवंश से पशुपालक की आय बढाना
- वैज्ञानिक विधि एवं मशीन के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर विपणन को बढ़ावा।
- गौमय,गौमूत्र आदि के साथ खनिज जैसे लिग्नाइट, रॉक फास्फेट, जिप्सम आदि को मिश्रित कर एनरिच कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर विपणन करना।
- औषधीय उपयोग हेतु गौमूत्र अर्क तथा कृषि हेतु कीटनाशक आदि के रूप में उत्पादन।
- पशुपालकों, गोपालकों, कृषकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- वैज्ञानिक विधि से डेयरी संचालन प्रबन्धन को विकसित करना।

योजना अवधि	:—	2018—21(तीन वर्ष)
कार्य क्षेत्र	:—	सम्पूर्ण राजस्थान।
कार्यक्रम क्रियान्वयन समन्वय एवं पर्यवेक्षण	:—	निदेशालय गोपालन।
भौतिक लक्ष्य	:—	50 डेयरी

3. डेयरी का स्वरूप :—

एक ही नस्ल की देशी 30 दुधारू गाय :—

- एक डेयरी की पूँजी लागत :— रू. 36.69 लाख
- लाभार्थी अंशरू. 3.67 लाख (10 प्रतिशत),
- बैंक ऋण रू. 33.02 लाख (90 प्रतिशत)

प्रोजेक्ट लागत के संदर्भ में विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1** पर है।

4. वित्तीय स्त्रोत :—आर.के.वी.वाई. — रफ्तार अन्तर्गत प्राप्त राशि जिसमें प्रथम वर्ष 1.10 करोड़ तत्पश्चात प्रतिवर्ष लक्ष्य एवं योजनानुसार मांग प्रस्तुत की जायेगी।

5. वित्तीय प्रावधान :—

- 50 डेयरियों पर कुल पूँजी लागत :— रू. 18.35 करोड़।
- 50 डेयरियों पर लाभार्थी अंश :— रू. 1.84 करोड़ (10 प्रतिशत)
- बैंक ऋण :— रू. 16.51 करोड़ (90 प्रतिशत)
- बैंक, पूंजी लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण स्वीकृत करेगा, जिसमें से पूंजी लागत की 30 प्रतिशत राशि अर्थात रू. 5.51 करोड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्राप्त होने वाली राशि से बैंक को राज्य सरकार की अनुदान राशि के रूप में भुगतान किया जायेगा, जिसका समायोजन केन्द्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

- केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) {परिपत्र संख्या राबै.(डीओआर)/जीएसएस/763/डीईडीएस–1/2017–18 दिनांक 26.05.2017 के दिशा निर्देश के पैरा 16.1 व 16.02} की तरह बैक एण्डेड पूंजी अनुदान का प्रावधान किया जाकर इस न्यूनतम 03 वर्ष के लिए लॉक–इन पीरियड में रखकर इसका समायोजन बैक एण्डेड रूप में किया जायेगा। संबंधित बैंक अनुदान की राशि को सब्सिडी रिजर्व फण्ड खाते (ऋणीवार) में रखेगे व अनुदान राशि का समायोजन ऋण की बकाया अंतिम किश्तों से करेगें एवं खाते के एन.पी.ए. (NPA) होने की स्थिति में लाभार्थी के लिए जारी अनुदान की राशि को निदेशालय गोपालन को लौटायेगें। अनुदान राशि का निर्धारण एवं उसका प्रतिशत निदेशालय गोपालन द्वारा ही राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

6. योजना का स्वरूपः–

- उच्च दुग्ध उत्पादक क्षमता वाली 30 गायों की डेयरी इकाई व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा स्थापित की जायेगी।
- 30 दुधारू गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना, पर्याप्त स्थान एवं हरा चारा उत्पादन हेतु 1 एकड स्वयं के स्वामित्व की भूमि का होना आवश्यक होगा।
- दुधारू गाय की उम्र 5 वर्ष या दो ब्यांत (Second-lactation)जो भी कम हो एवं दुग्ध उत्पादन 10–12 लीटर तथा बछड़े/बछड़ी की उम्र 1–2 माह होना आवश्यक है।
- प्रथम चरण में 15 दुधारू गाय तथा 4 से 6 माह पश्चात द्वितीय चरण में शेष 15 दुधारू गाय क्रय कराई जायेगी।
- दुधारू गायों का क्रय राज्य पशु प्रजनन नीति के अनुसार किया जायेगा।

7. चयन हेतु पात्रता :–

- लाभार्थी का चयन सम्बन्धित लाभार्थी के क्षैत्र का पशु चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर निदेशालय गोपालन एवं जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गांव के समस्त पशुपालकों/गोपालकों/डेयरी संचालकों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। इसके उपरान्त लाभार्थियों से योजना के अनुरूप प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप मे लियें जायेगें।
- पशु चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा योजना के परिपेक्ष्य में ऋण आवेदन पत्रों की जांच कर अपनी टिप्पणी के साथ नोडल अधिकारी की अनुशंषा उपरान्त संयुक्त निदेशक कार्यालय को अग्रेषित किये जायेगे।

- जिला संयुक्त निदेशक द्वारा समस्त अग्रेषित प्रार्थना पत्रों को लक्ष्य के अनुसार योग्य लाभार्थी के चयन हेतु जिला स्तरीय गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला स्तरीय गोपालन समिति के निर्णय के उपरान्त योग्य लाभार्थियों की सूचना संयुक्त निदेशक द्वारा जारी की जायेगी, जिसकी एक प्रति गोपालन निदेशालय एवं संबंधित शाखा प्रबंधक को प्रेषित की जायेगी।
- चयनित लाभार्थियों को निदेशालय गोपालन द्वारा आयोजित डेयरी प्रबन्धन, पशु पोषण/स्वास्थ्य/प्रजनन तथा अभिलेख संधारण सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से भाग लेना होगा।
- पूर्व से डेयरी संचालित करने वाले आवेदकों को भी योजना में लाभान्वित किया जा सकेगा। वर्मी/एनरिच कम्पोस्ट, अमृतपानी (Liquid Biofertilizer) जैविक खाद निर्माण, जैविक खेती एवं चारा उत्पादन से सम्बन्धित कार्यों में तकनीकी सहयोग करना।
- किसान नीति, 2017 से भी योजना को जोडा जावेगा।
- बैंक ऋण बैंक की शर्तो के अनुरूप ही दिया जायेगा।
- पशु क्रय करने के उपरान्त समस्त दुधारू ग़ायों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं बीमा कराया जाना आवश्यक होगा। क्रय करायी गयी दुधारु गायों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु 12 डिजीट का टेग लगाकर उसे ईनाफ (INAPH) से जोडा जायेगा।
- गायों के स्वास्थ्य का रखरखाव, संतुलित पशु आहार, रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण/उपचार तथा प्रजनन स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श अनुसार किया जा सकेगा।
- गौवंश के प्रजनन योग्य सांडों से गौ–संवर्धन हेतु प्राकृतिक परिसेवा/कृत्रिम गर्भाधान कराने हेतु लाभार्थी स्वतंत्र होगा परन्तु नकारा बछडो/सांडों का शत–प्रतिशत बधियाकरण कराना अनिवार्य होगा।

8. गायों का क्रय निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः–

निकटवर्ती वरिष्ठ/ पशु चिकित्सा अधिकारी	अध्यक्ष
संबंधित शाखा का शाखा प्रबंधक	सदस्य सचिव
संबंधित लाभार्थी	सदस्य

9. योजना से प्राप्त लाभः–

- प्रदेश में प्रतिवर्ष 1500 गायों को उन्नत नस्ल में संवर्धन तथा संरक्षण होगा, जिससे प्रतिवर्षलगभग 58,000 लीटरदुग्ध का उत्पादन होगा।
- प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के देशी नस्ल के मादा व नर गौवंश उपलब्ध हो सकेंगे।

10. कामधेनू डेयरी का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षणः–

गोपालन, पशुपालन, राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 एवं क्षेत्रिय प्रबन्धक, क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंक के स्थानीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उक्त डेयरी का निरीक्षण कर लाभार्थी को गौवंश के रख–रखाव, नस्ल संवर्धन चारा उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादकता/विपणन के सम्बन्ध में विभागीय योजनाओं की जानकारी देगें।

11. योजना लागत एवं आय आकलन के आधार बिन्दुः–

लागत :–

- 30 गायों की प्रत्येक कामधेनू डेयरी में आधारभूत सुविधाओं, निर्माण कार्यो, मशीन तथा उपकरण, चारा–पशुआहार तथा पूँजीगत व्यय के रूप में प्रति ईकाई 36.69 लाख रूपये की लागत **परिशिष्ट 1** के अनुसार आकलित की गई है।
- उक्त राशि में एक माह के चारा एवं पशुआहार तथा एक वर्ष के बीमा की राशि भी सम्मिलित है।

आय :–

- आय की गणना दुग्धकाल 200 दिवस तथा प्रथम वर्ष में 9 लीटर प्रति गाय प्रतिदिन एवं द्वितीय वर्ष से 10 लीटर प्रति गाय प्रतिदिनऔसत दुग्ध उत्पादन के आधार पर आंकलित की गई है।
- राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन(RCDF) से पशु आहार विपणन की ऐजेन्सी तथा एनरिच कम्पोस्ट उत्पादन विपणन की स्थिति में आय में और वृद्धि हो सकती है जो योजना में दर्शायी नहीं गई है।

1. पूंजी लागत :–

30 गायों की एक इकाई की लागत

(A)पूंजीगत व्यय

क्र.सं.	30 गायों के क्रय पर व्यय	30 गायों की यूनिट
1	क्रय मूल्य @ रू. 60,000/– प्रति गाय	18,00,000
2	क्रय मूल्य प्रजनन सांड / 1,00,000 प्रति सांड मय परिवहन	1,00,000
3	परिवहन रू. 2,500/– प्रति गाय	75,000
	योग	**19,75,000**

(B)आधारभूत सुविधाओं पर व्यय

क्र.सं.	आधारभूत सुविधाओं पर व्यय	30 की यूनिट हेतु
1	गौवंश शैड2500 वर्ग फीट @ रू. 300 प्रतिवर्ग फीट	7,50,000
2	पशु आहार गोदाम 100 वर्ग फीट @ रू. 300 प्रतिवर्ग फीट	30,000
3	मिल्क रूम 100 वर्ग फीट रू. 350 प्रति वर्ग फीट की दर से	35,000
4	चैफ कटर शेड 40 वर्ग फीट @ रू. 150 प्रति वर्ग फीट	6,000
	योग	**8,21,000**

(C)मशीन एवं उपकरण पर व्यय :–

क्र.सं.	मशीन एवं उपकरण विवरण	30 की यूनिट हेतु
1	बोरिंग/जेट समरसेविल पम्प 1.5 एच.पी.	1,50,000
2	पावर चैफ कटर 3 एच.पी.	50,000
3	मिल्क केन्स कुल 6	3,000
4	बल्क मिल्क कूलर (500 लीटर)	1,75,000
5	मिल्किंग मशीन–2Cluster double bucket	70,000
6	मेजरिंग किट–4 (लेक्टोमीटर)	4,000
7	मोटर साईकिल	72,000
8	2 डेयरी पंखें	70,000
9	वर्मी कम्पोस्ट/एनरिच कम्पोस्ट निर्माण इकाई	50,000
10	अजौला (पूरक पशु आहार) निर्माण ईकाई	20,000
11	बॉयोगैस संयत्र	80,000
	योग	**7,44,000**

(D)आवर्ती लागत में बढोतरी

क्र.सं.	अन्य लागत	30 की यूनिट हेतु
1	आहार की लागत (एक माह)@ 85/– प्रतिदिन प्रति गाय	76,500
2	बीमा (एक वर्ष) गाय@1650	49,600
3	बीमा (एक वर्ष) प्रति सांड 2800/–	2,800
	योग	**1,28,900**
	महायोग (A+B+C+D)	**36,68,900**
	लाभार्थी अंश (10 %)	**3,66,890**
	बैंक लोन (90 %)	**33,02,010**

2. आय का विवरण :–

विवरण	वर्ष				
	1	2	3	4	5
प्राप्तियां					
दूध का विक्रय (Sale of Milk)	23,38,875	30,00,000	33,00,000	36,00,000	39,00,000
वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) उत्पादन 1200किलो/ प्रतिगाय प्रति वर्ष @4/– प्रति किलो	1,44,000	1,58,000	1,74,000	1,91,000	2,10,000
मूत्र का विक्रय (Sale of Urine) 5 ली0/प्रतिदिन/प्रति गाय @2/– प्रति ली0	1,10,000	1,21,000	1,33,000	1,46,000	1,60,000
भवन का हास मूल्य (Depreciated value of Building)					33,435
उपकरणों का हास मूल्य (Depreciated value of Equipments)					58,255
रहतिया(Closing Stock Value)					9,50,000
कुल प्राप्ति (Total)	**25,92,875**	**32,79,000**	**36,07,000**	**39,37,000**	**53,11,690**
आवर्ती लागत(Recurring Cost)					
आहार लागत (Feeding Cost of Cow)	11,94,600	14,45,700	14,45,700	14,45,700	10,20,000
आहार लागत – सांड (Feed-Bull)(@86/- प्रतिदिन)	53,290	53,290	53,290	53,290	53,290
बीमा (Insurance)	0	52,400	52,400	52,400	52,400
पशु चिकित्सा सहायता (Veterinary aid)	50,000	55,000	60,000	65,000	70,000
श्रम लागत (Labour Cost)2 मजदूर @300/– प्रतिदिन	2,19,000	2,41,000	2,65,000	2,91,000	3,20,000
अन्य लागत (Electricity, Petrol)@7000/– प्रतिमाह	84,000	92,000	1,02,000	1,12,000	1,23,000
कुल व्यय (Total Expenditure)	**16,00,890**	**19,39,390**	**19,78,390**	**20,19,390**	**16,38,690**
सकल लाभ(Gross Profit)	**9,91,985**	**13,39,610**	**16,28,610**	**19,17,610**	**36,73,000**

विवरण	वर्ष				
	1	2	3	4	5
पूंजी लागत (Capital Cost)	36,68,900				
आवर्ती लागत (Recurring Cost)	16,00,890	19,39,390	19,78,390	20,19,390	16,28,690
कुल लागत (Total Cost)	52,69,791	19,39,392	19,78,393	20,19,394	16,28,695
लाभ (Benefit)	25,92,875	32,79,000	36,07,000	39,37,000	53,11,690
शुद्ध लाभ (Net Benefit)	–26,76,916	13,39,608	16,28,607	19,17,606	36,72,995
मूल्यहार कारक (Deprecation Factor) @15 %	0.87	0.76	0.66	0.57	0.50
वर्तमान मूल्य लागत (Present Worth Cost) @15 % DF	45,84,718	14,66,180	13,01,783	11,55,093	8,14,431
वर्तमान मूल्य लाभ (Present Worth Cost) @15 % DF	22,55,801	24,78,924	23,73,406	22,51,964	26,39,910
शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Worth)	26,77,799				
लाभ लागत अनुपात (Benefit Cost Ratio)	1.29				
आंतरिक वापसी दर (Internal Rate of Return)	55%				

नोट :–

- एक गाय का एक ब्यात में 200 दिवस दुग्धकाल तथा प्रथम वर्ष में 9 लीटर, द्वितीय वर्ष से पंचम वर्ष तक 10 लीटर प्रतिदिन औसत के आधार पर गणना की गई है। तीन ब्यात के बाद गाय की दुग्ध उत्पादकता कम होने के कारण चतुर्थ, पंचम वर्ष में दुग्ध की प्रतिदिन औसत उत्पादकता स्थिर रखी गई है एवं चारे एवं दाने पर होने वाले व्यय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर गणना की गई है।

- हरे चारे की लागत की गणना वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आकलित की गई है परन्तु लाभार्थी द्वारा अजौला (पूरक पशु आहार) एवं हाइड्रोपोनिक तकनीक से उच्च गुणवत्ता युक्त हरा चारा उत्पादित किया जायेगा जिसकी लागत उक्त बाजार मूल्य से कम आयेगी।

3. दुग्ध काल चार्ट(Lactation Chart):–

दुग्ध प्रवाह चार्ट					
योग	प्रथम चरण गौवंश		द्वितीय चरण गौवंश		योग
	दुग्ध काल दिवस	शुष्क दिवस	दुग्ध काल दिवस	शुष्क दिवस	5
प्रथम वर्ष	200	165	185		385
द्वितीय वर्ष	200	165	15	165	400
			185		
तृतीय वर्ष	200	165	15	165	400
			185		
चतुर्थ वर्ष	200	165	15	165	400
			185		
पंचम वर्ष	200	165	15	165	400
			185		

बैच साईज	15

दिवस	1st Year	2st Year	3st Year	4st Year	5st Year
दुग्धकाल दिवस	5775	6000	6000	6000	6000
शुष्क दिवस	2475	4950	4950	4950	4950

औसत दुग्ध उत्पादन – प्रथम वर्ष @09/– प्रति ली0/गाय/दिन द्वितीय वर्ष से @10/–प्रति ली0/गाय/दिन	51975	60000	60000	60000	60000
मूल्य	45	50	55	60	65
विक्रय मूल्य	23,38,875	30,00,000	33,00,000	36,00,000	39,00,000

नोट :–दुग्धकाल 200 दिवस तथा शुष्ककाल 165 दिवस का औसत माना गया है।

4. आहार लागतः–

S.No.	आहार सामग्री	लागत प्रति किग्रा	दुग्धकाल अवधि के दौरान		शुष्ककाल अवधि के दौरान	
		(रू.)	मात्रा (किग्रा)	लागत (रू.)	मात्रा (किग्रा)	लागत (रू.)
1.	दाना (Concentrate Feed)	20	4	80	1	20
2.	हरा चारा (Green Fodder)	3	20	60	10	30
3.	सूखा चारा (Dry Fodder)	6	5	30	6	36
	योग (Total)			**170**		**86**

5. तकनीकी आर्थिक पैरामीटर(Techno Economic Parameter):–

गौवंश का विवरण (Animal Details)	
देशी गौवंश की संख्या	30
औसत गाय की लागत परिवहन सहित (रू.)	60000
दुग्ध काल अवधि, दिवस	200
शुष्क काल अवधि दिवस	165
सांड की लागत परिवहन सहित (रू.)	100000
दुग्ध उत्पादन(Milk Yield)	
प्रथम वर्ष औसत उत्पादन ली0/दिन/गाय	9
द्वितीय वर्ष उचित प्रबंधन एवं दुग्धकाल बढोतरी, औसत उत्पादन ली0/दिन/गाय	10
सिविल निर्माण(Civil Construction)	
गौवंश शेड की निर्माण लागत रू. प्रति वर्गफुट	300
चारा भण्डार गृह की लागत रू. प्रति वर्गफुट	300
दुग्ध भण्डार गृह की लागत रू. प्रति वर्गफुट	350
कुट्टी मशीन (Chaff Cutter Room) गृह की लागत रू. प्रति वर्गफुट	150
मशीनरी(Machinary)	
बल्क मिल्क कुलर – क्लोजड टाईट – 500 एलपीडी लागत (रू.)	175000
मिल्किंग मशीन 2 सिस्टर्न लागत (रू.)	70000
आहार लागत (Feeding Cost)	
उत्पादन लागत/हरे चारे का क्रय (रू. प्रति कि.ग्रा.)	3
उत्पादन लागत/सुखा चारे का क्रय (रू. प्रति कि.ग्रा.)	6
पशु आहार (दाना) (रू. प्रति कि.ग्रा.)	20
पशु चिकित्सा प्रति पशु प्रति वर्ष (रू.)	1000
बिजली एवं पानी व्यय प्रति पशु प्रति वर्ष (रू.)	1000
पशु बीमा प्रीमियम (%)	4
वार्षिक कार्मिक/मजदूर वेतन (रू.)	48000
बछडो के पालन पोषण का खर्च/व्यय आय में समायोजित हो जायेगा। Expenditure on rearing of calves will be off set by the income	
हीफर को फार्म पर प्रतिस्थापित स्टॉक के रूप में रखा जायेगा। Heifer will be retained on the farm as replacement stock	
हास (Depriciation :%) वार्षिक	
शेड	5
उपकरण इत्यादि (Equipments Etc.)	15
अन्तिम रहतिया का मूल्य (Value of Closing Stock % of Original Value)	50